

रविवार

जिला वेलिक शिक्षा अधिकारी,  
लखीमपुर-खीरी।

संज्ञा: आरु/अन्यता/8391/48 / 89-90 तिथि वाली।

प्रतिलिपि सिम्माकित अधिकारियों की सेवा में सूचना के एवं अ...

कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रति उपविद्यालय निरीक्षक/सहायक बाकिा विद्यालय निरीक्षिका, जिला
- 2- उप विद्यालय निरीक्षक, निर्. शिक्षा/शिक्षा अधीक्षक, जनपद-खीरी।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर-खीरी।
- 4- जिला इंजिनर कल्याणशिकारी लखीमपुर-खीरी।
- 5- माडलीया सहायक शिक्षा निदेशक वित्तिक 8 एस्ट मंडल, लखनऊ।
- 6- सचिव, शिक्षा विभाग, 2050, इलाहाबाद.

9/2 जिला लेनिक सि...

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

सेवा में

प्रमाण सभागीय परिवहन कार्ड कार्ड  
लखनौ मपुर - रबीरी

बदोष, निम्न निवेदन है कि रबीरी संस्था प्री मुख -  
वेग बहादुर मुंडा, स्कूल, मंडगापुर वि. क्षेत्राधिकार  
जहाँ - लखनपुर रबीरी बोर्डिंग शिक्षा विभाग द्वारा  
दिए गई मान्यता प्राप्त सत्र 1990 में मान्यता के  
बाद से प्रमत्त विद्यालय अधिगम प्रवेशों तक का  
कृषी के कार्याई मान्यता प्राप्त विद्यालय कोषित  
दिए जा चुके हैं।  
बहुकुमार विद्यालय संचालित

है।

प्रमाणित है, उक्त की तुलना के बाद  
अंश स्कूल - मंडगापुर - विषयों  
पठित कला - जनपद - रबीरी का  
बेचिक शिक्षा विभाग उत्तरांचल  
ब' रबीरी की अत्यापी मान्यता  
प्राप्त है।

अब दीप  
मंडगापुर - रबीरी

9.8.2

बगर शिक्षा अधिकारी  
लखनौ मपुर - रबीरी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी  
रबीरी

प्रकाश

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,  
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ग.उ. स्थायी शिक्षा विभाग,  
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक: आरु/मान्यता/

दिनांक: 01-3-90

महोदय,

जिला मान्यता रुभिति की बैठक दिनांक 3.3.90 के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की स्थायी मान्यता का नवीनीकरण निम्न प्रतिबन्धों के साथ शैक्षिक सत्र 1989-90 ग.उ. ग.उ. 30 जून 1990 तक के लिये किया जाता है। उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति कर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र 30 जून 1990 तक आवश्यक संलग्नकों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराना; अनिवार्य है।

प्रतिबन्ध

- 1- स्थायी पंजीकरण का नवीनीकरण प्रति पाँच वर्ष बाद नियमित रूप से होता रहे तथा अवधि समाप्त एवं नवीनीकरण से अलग कराते रहे।
- 2- विद्यालय भवन में निर्धारित मानक के अनुराकरकों की कमी को तत्काल पूर्ण कर दिया जायतथा वस्तु स्थिति से अलग कराया जाय।
- 3- अधि शिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति है। शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत की जाय।
- 4- विद्यालय की आवश्यकतानुसार साजसज्जा इस्की-डेस्क की व्यवस्था की जाय।
- 5- 500/- पत्रांक लागू और 50/- आवेदन धरामि की व्यवस्था की जाय।
- 6- 500/- मूल्य की उपयोगी तथा स्वीकृत पुस्तकों की व्यवस्था की जाय।
- 7- विद्यालय में परिष्कृत पत्रांक विहित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग न जाय।

- 8- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जायतथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा पृथक पृथक तथा उचित रूप में डाकघर या बैंक में रखा जाय।
- 9- प्रमुख हेतु शमीनक्षेत्रों में दो एक तथा नगर क्षेत्र में एक से हेतु एकड़ की क्षेत्र तथा कम से कम 500/- की ग्रीड लागू की जाय।
- 10- प्रथम मान्यता के पश्चात आपके विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण तीसरी बार किया जा रहा है जो अन्तिम है। इसके पश्चात अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

20/90  
9.8.20

जिला शिक्षा अधिकारी  
लखीमपुर-खीरी

पत्रांक: आरु/मान्यता/8391-98

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचना के लिये प्रेषित:-

- 1- प्रति उपविद्यालय निरीक्षक/ग्राहक बाकि विद्यालय निरीक्षक, जिला लखीमपुर-खीरी।
- 2- उप विद्यालय निरीक्षक, निर्दिष्ट/शिक्षा/शिक्षा अधीक्षक, जनपद-खीरी।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

प्रकाश

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी,  
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक: 89-90